टी0ए0 मिस केस सं0 312/2018-19

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
04/01/2020	अभिलेख उपस्थापित। आवेदिका **सुश्री हाऊरी माई तियु, पिता– बड़ा बामिया हो,** ग्राम– **डिलियामार्चा,** थाना– **मुफ्फसिल,** जिला– पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा– **डिलियामार्चा, थाना– 108,** खाता नं०– **34,** प्लॉट नं०– **2584, रक्वा– 0.20 एकड़** भूमि क्रेता **कस्तुरी कुदादा, पिता– विश्वनाथ कुदादा,** ग्राम– **बादुडी,** थाना– **मुफ्फासिल** के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया। जिसमें दिनांक 5.02.2019 को नितिमा कुई के द्वारा आपत्ति आवेदन दिया गया है, जिसके फलस्वरूप विकेता, केता एवं आपत्तिकर्त्ता को नोटिस कर बुलाया गया। विकेता नोटिस पर हाजिर हुई है परन्तु दो बार आपत्तिकर्ता एवं मुण्डा को नाटिस देने के बाद भी आपत्तिकर्ता एवं मुण्डा हाजिर नहीं हुए है। अतः अंचल अधिकारी, **सदर चाईबासा** के जाँच प्रतिवेदन, के आधार पर विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **आवेदित भूमि आवेदिका के पिता के नाम पर खतियान में दर्ज है।आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है।** अंचल अधिकारी, **सदर चाईबासा** का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक– **470**,दिनांक–. **10.07.2019** एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजो के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मकान बनाने एंव मकान मरम्मति हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता **कस्तुरी कुदादा, पिता– विश्वनाथ कुदादा,** ग्राम– **बादुडी,** थाना– **मुफ्फसिल,** के पास **9,60,000.00/–(नौ लाख साठ हजार) रूपये** में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों थाना **मुफ्फसिल** के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है। उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष **2.30** एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू–सम्पति प्रर्याप्त है। अतः अंचल अधिकारी, **सदर चाईबासा** एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में आवेदिका **सुश्री हाऊरी माई तियु, पिता– बड़ा बामिया हो,** ग्राम– **डिलियामार्चा,** क्रेता **कस्तुरी कुदादा, पिता– विश्वनाथ कुदादा,** ग्राम– **बादुडी,** थाना– **मुफ्फसिल** के **9,60,000.00/–(नौ लाख साठ हजार) रूपये** पास मे मौजा– **डिलियामार्चा, थाना– 108,** खाता नं०– **34,** प्लॉट नं०– **2584, रक्वा– 0.20 एकड़** भूमि को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की ......अनुमति......दी जाती है। लेखापित [signature] भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा। [signature] 4/1/2020 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा।	

Scanned with CamScanner